संख्या 1948/44-2-14/च.स./87-92

प्रेषक,

डा0 विजय कृष्ण सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों से
सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव।

2-सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों के समस्त
प्रबन्ध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 1992

विषय :- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/संस्थाओं में पदों के सृजन/भरे जाने पर शासन का नियंत्रण।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1184/44-2-14/च.स./87, दिनांक 30.11.87 संख्या-2116/44-2-14/च.स./87-90, दिनांक 17-12-90, संख्या 1450/44-2-80/91, दिनांक 19.8.91, तथा संख्या-1995/44-2-14/च.स./87-91, दिनांक 8-10-91, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1184/44-2-14/च.स./87, दिनांक 30-11-87, में यह अपेक्षा की गई थी कि प्रशासनिक विभाग अपने नियंन्त्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में पदों की संख्या तथा उनके सृजन के अनुश्रवण के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करायें। परन्तु इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों को विभिन्न पदों के सृजन, नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में एक लम्बी प्रक्रिया के अन्तर्गत शासन की अनुमति लेनी पड़ती है। इससे न केवल संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होता है बल्कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों को अपने कार्य संचालन में कठिनाई भी होती है।

2- इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सभी सार्वजनिक उपक्रम/निगम अपने कार्य की आवश्यकता को देखते हुए तथा नार्म्स को दृष्टि में रखते हुये स्थायी पदों/सीजनल पदों की संख्या निर्धारित करें। तत्पश्चात् उक्त स्टाफ स्ट्रैन्थ को स्थायी रूप से प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम/निगम के लिये शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित कर दिया जाय। इसी के साथ इन पदों पर नियुक्ति/चयन/पदोन्नति की प्रक्रिया भी किस प्रकार की होगी, उसके संबंध में भी सूचना भेजी जाय ताकि स्टाफ स्ट्रैन्थ निर्धारित करते समय इस विषय पर भी विचार हो सके। इस प्रकार प्रत्येक निगम/उपक्रम की कार्य आवश्यकता के अनुसार स्टाफ स्ट्रैन्थ एवं उसकी चयन प्रक्रिया स्थायी रूप से निश्चित हो जायेगी और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों को पदों के सृजन/नियुक्ति/पदोन्नति के संबंध में शासन से बार-बार पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3- इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्तानुसार स्टाफ स्ट्रैन्थ निश्चित होने के फलस्वरूप सरप्लस पाये गये किसी अधिकारी/कर्मचारी को निकाला नहीं जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी उपक्रम/निगम की स्थायी स्ट्रैन्थ के विरुद्ध समायोजित होते रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि आपके निगम से संबंधित उपरोक्तानुसार सूचना प्रशा.निक विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग को एक माह में अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। ताकि शासन द्वारा परीक्षण कर सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की स्थायी स्टाफ स्ट्रैन्थ को तीन माह के अन्दर निश्चित किया जा सके और उन निगमों तथा उपक्रमों के लिये पदों के सृजन/नियुक्ति के संबंध में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन करके नये शासनादेश जारी किये जा सकें।

भवदीय,
डा0 विजय कृष्ण सक्सेना,
मुख्य सचिव।

संख्या-1948(1)/चौवालिस-2-14/च.स./87-92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ए0 के0 जैन,
सचिव।